शोध–सार

ग्रामीण विकास में मनरेगा की भूमिका : बिहार के भोजपुर जिले का एक अध्ययन

वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

राजनीति विज्ञान विभाग

के अन्तर्गत

पी–एच०डी० की उपाधि हेतु प्रस्तावित

शोध–प्रबन्ध की संक्षिप्त रूपरेखा

शोध निदेशक

शोधार्थी

देवेन्द्र कुमार सिंह

राजनीति विज्ञान विभाग

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

ग्रामीण विकास में मनेरगा की भूमिका : बिहार के भोजपुर जिले का अध्ययन

प्रस्तावना (Introduction)

विकासशील देशों के लिए विकास की समस्या का सामना करना एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब देश साम्राज्यवादी सत्ता से मुक्त हो जाते हैं और स्वयं के स्वामी बन जाते हैं, तब जनता सरकार से अपेक्षा करती है कि विदेशी सत्ता के शासनकाल में रूकी हुई विकास प्रक्रिया को गति प्रदान की जाय। इसलिए भारत जैसे विकासशील देशों के संबंध में विदेशी विशेषज्ञ और देश के विद्वानों द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि परम्परागत प्रशासन के स्थान पर विकास प्रशासन स्थापित किया जाय।

वस्तुतः विकास परिवर्तन की वह स्थिति है, जिसके द्वारा परम्परागतपूर्ण स्थिति से हम आधुनिक स्थिति पर आते हैं। यह एक निरन्तर परिवर्तनशील एवं गतिशील प्रक्रिया है तथा बहुआयामी स्थिति को दर्शाता है।

विकास की चर्चा केवल आर्थिक विकास के रूप में नहीं करनी चाहिए। इसके राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक घटक भी होते हैं। यद्यपि विकास के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक घटकों के बीच विभाजन रेखा खींचना संभव नहीं है, फिर भी ये सब मिलकर विकास प्रक्रिया में योगदान देते हैं।

राजनीतिक विकास में राजनीतिक व्यवस्था स्वयं की मौलिक समस्याओं से निपटने की क्षमता रखती हो तथा जनता की मांगों के अनुरूप बनने में समक्ष हों, साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों की भी रक्षा विकास के समानान्तर होती रहें। जनसहभागिता एवं लोक–कल्याण राजनीतिक विकास के मूल अंग है।

आर्थिक विकास का प्रमुख उद्देश्य देश का आर्थिक दृष्टि से विकास करना है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति पूँजी, बचत, रहन–सहन का स्तर एवं राष्ट्रीय आय तथा अधिसंरचनात्मक विकास सम्मिलित है।

सामाजिक विकास से तात्पर्य समाज में रहने वाले लोगों का सामाजिक जीवन परिवर्तन लाते हुए उन्नति करने से है। इसमें वस्त्र, भोजन, आवास, चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक समावेशी विकास एवं सामाजिक रूप से वंचित लोगों को मुख्य धारा में लाना है।

सांस्कृतिक विकास का प्रशासनिक विकास से तादात्म्य होना स्वभाविक प्रक्रिया है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो जन–असंतोष एवं हिंसा का उदय होता है।

प्रशासनिक विकास, विकास प्रशासन का एक महत्वपूर्ण तत्त्व है। यह परिवर्तनशील एवं गतिशील अवधारणा है, जो समाज के आर्थिक, सामाजिक, एवं राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील है। इसमें प्रशासनिक संरचनाओं, संगठनों, नीतियों, प्रक्रियाओं आदि में परिवर्तन करके प्रशासन को समयानुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है।

विश्व बैंक की विकास अवधारणा के अनुसार मानव जीवन जीने के स्तर में सुधार लाना ही विकास है। इसका मापन जीवन–प्रत्याशा, शिक्षा एवं औसत आय के

आधार पर यू०एन०डी०पी० करता है। इस प्रकार धनात्मक परिवर्तन के साथ वृद्धि ही विकास है।

भारत में ग्रामीण विकास (Rural Development in India)

भारत जैसा विकासशील देश, जहाँ लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है, ग्रामीण विकास का महत्त्व स्वतः ही स्पष्ट है। यदि भारत को एक सशक्त देश बनाना है, तो ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देनी ही होगी। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास संबंधी कार्यक्रमों को विशेष महत्त्व दिया जाता है। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना ही ग्रामीण विकास है। विश्व बैंक के अनुसार, ग्रामीण विकास गरीब ग्रामीणों, छोटे एवं सीमान्त किसानों, भूमिहीनों एवं बटाईदारों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन सुधार लाने की व्यूह रचना है। ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास ही ग्रामीण विकास है। इसमें केवल ग्रामीण क्षेत्र और जीवन स्तर का विकास करना ही नही है, बल्कि न्यूनतम आधुनिक सुविधाएँ भी प्राप्त करना है। इस प्रकार ग्रामीण विकास एक बहुआयामी प्रकिया है। भारत में ग्रामीण विकास का इतिहास प्राचीन है एवं इसकी एक समृद्ध परम्परा विद्यमान रही है। प्राचीन भारत के ग्राम सम्पन्न एवं आत्मनिर्भर थे। मध्यकालीन भारत में भी ग्रामीण स्वशासन की प्रचलित परम्परा में अधिक बदलाव नहीं किया गया, परन्तु अंग्रेजी दासता के फलस्वरूप यह ढांचा अव्यवस्थित हो गया।

सदियों की गुलामी से स्वंतत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में ग्रामीण विकास एवं स्थानीय स्वशासन की बुनियाद नये सिरे से शासन के विकेन्द्रीकरण की नीति के सिद्धांत पर रखी गयी, जिसमें भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास की दिशा में प्रयास प्रारम्भ किया गया। भारत ने योजनाबद्ध तरीके से विकास की ओर बढ़ने के लिए पंचवर्षीय योजना को अपनाया। इन पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गयी एवं अनेकों कार्यक्रम इस संदर्भ में चलाये गये, जैसे – सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय सेवा प्रसार, खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रम, ग्रामीण उद्योग प्रोजेक्ट, वार्षिक किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम, कुआं निर्माण कार्यक्रम, आदिवासी विकास ब्लॉक, ग्रामीण मानव–शक्ति विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, सूखाग्रस्त कार्यक्रम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण कार्यक्रम, युवक प्रशिक्षण क्षेत्र कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना इत्यादि।

21वीं सदी में ग्रामीण विकास के निम्न कार्यक्रम चलाये गये :–

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–2000
- सम्पूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना–2001
- भारत निर्माण–2005
- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना–2005
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन–2005
- मनरेगा–2006
- प्रधानमंत्री अटल बीमा योजना–1999
- जनधन योजना–2014

- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना–2014
- डिजिटल इंडिया प्रोग्राम–2015
- ग्रामीण भंडारण योजना
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना–2015
- अटल पेंशन योजना–2015
- भारत लैम्प योजना–2009
- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना–2010
- समेकित बाल विकास सेवा–1975
- मध्याह्न भोजन योजना–1995
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना–2015
- अन्त्योदय अन्न योजना–2000

मनरेगा (Mgnrega)

रोजगार किसी भी देश और समाज के आर्थिक विकास की कुंजी है। जिस गति से रोजगार पाने वालों की संख्या और उनकी आमदनी में बढ़ोत्तरी होती है, उस गति से देश विकास के पथ पर अग्रसर होता है। गांधी जी बेरोजगारी को एक सामाजिक अपराध की संज्ञा देते हुए कहते थे कि ''किसी स्वस्थ समाज के अंदर चंद व्यक्तियों के पास धन का केन्द्रित हो जाना और लाखों का स्वरोजगार समाप्त होना एक महान सामाजिक अपराध है।''

ग्रामीण भारत की अधिकांश जनसंख्या गैर–कृषिगत कार्यों की कमी के कारण रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि बड़ी मात्रा में लोगों को पूरे वर्ष का रोजगार दे पाने में समक्ष नही है। बेरोजगारी की इस स्थिति से गांव के लोगों का विस्थापन महानगरों की तरफ होता है, जिससे ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति में परिर्वतन आता है। इस समस्या से निपटने के लिए ग्रामीण रोजगार को कानूनी गांरटी का स्वरूप दिया गया और यह मजदूरों का न्यायोचित अधिकार बनाया गया। भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 2005 में इस कानून का निर्माण किया गया तथा इसे 02 फरवरी, 2006 को आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले के बन्दापाली गांव से शुरू किया गया। पहले चरण में 2006–07 वित्तीय वर्ष के दौरान देश के 27 राज्यों के 200 जिलों में इसे लागू किया गया तथा 1 जनवरी, 2008 को यह कार्यक्रम सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया । इस योजना को तैयार करने में अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज का प्रमुख योगदान रहा है।

इस अधिनियम द्वारा अकुशल मजदूरों का ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए एक वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम–से–कम 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराने का प्रावधान है। इस अधिनियम में काम ने मिलने की दशा में बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का प्रावधान है। साथ ही, कराये जा रहे कार्यों की सामाजिक संपरीक्षा का प्रावधान किया गया है। परन्तु इसका कार्यान्वयन सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से लागू नहीं हो पा रहा है, यद्यपि इसकी पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा सुशासित कार्यावन्यन के लिए इलेक्ट्रॉनिक गर्वनेन्स का प्रयोग किया जा रहा है।

परन्तु फिर भी यह योजना भ्रष्टाचार से जूझ रही है। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य लोकतंत्र में उपेक्षित जनता के जीवन को सुदृढ़ करना है, जिससे ग्रामीण विकास सुनिश्चित हो सके। यह आम जनता का कानून है। इसका प्रभावी कार्यान्वयन जनसहभागिता पर ही निर्भर करता है। जनता इस कानून के बारे में अल्पज्ञान रखने के कारण अपनी सहभागिता सुनिश्चित नहीं कर पाती है।

02 अक्टूबर, 2008 में इस योजना का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना कर दिया गया। वस्तुतः महात्मा गांधी गांवों को विकास की इकाई के रूप में स्वीकार करते थे। वे आत्मनिर्भर गांवों की कल्पना करते थे, जो सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त हों, जिससे ग्रामीण विकास सुनिश्चित हो सके। भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता इसे वैश्विक मंदी से बचाने का भी काम करती है।

शोध क्षेत्र : भोजपुर जिला

प्रस्तुत शोध में बिहार राज्य के भोजपुर जिले को शोघ क्षेत्र के रूप में चुना गया है। भौगोलिक रूप से भोजपुर जिला मैदानी है। यहाँ लघु, कुटीर उद्योग की अनुपलब्धता की वजह से जनपद की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि पर आधारित है। अतः यहाँ ग्रामीण गरीबी अधिक है और रोजगार की तलाश में मजदूरों का पलायन शहरों की तरफ हो रहा है, इसलिए प्रस्तुत जनपद को शोध क्षेत्र के रूप में चुना गया है। 2395 वर्ग कि०मी० वाले इस क्षेत्र में 2011 की जनगणना के अनुसार 27,28,407 लोग निवास करते है, जिसमें 14,30,380 (52 प्रतिशत) पुरूष एवं 12,98,027 (48 प्रतिशत) महिलाएँ हैं। जिले की साक्षरता प्रतिशत 70.47 प्रतिशत है, जिसमें पुरूष साक्षरता 81.74 प्रतिशत एंव महिला साक्षरता दर 58.83 प्रतिशत है। यहाँ 85.7 प्रतिशत ग्रामीण एवं 14.6 प्रतिशत शहरी जनसंख्या है। कुल जनसंख्या में 15.6 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 0.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। भोजपुर जिले में 92.3 प्रतिशत हिन्दू, 7.25 प्रतिशत मुस्लिम, 0.08 प्रतिशत ईसाई, 0.02 प्रतिशत सिख, 0.02 प्रतिशत बौद्ध एवं 0.05 प्रतिशत जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं। इस जिले में 1000 पुरूषों पर 907 महिलाएँ हैं तथा कुल जनसंख्या घनत्व 1139 है। भोजपुर जिले में 14 प्रखंड, 07 विद्यानसभा क्षेत्र एवं 01 लोकसभा क्षेत्र है। इस जिले में मनरेगा की शुरूआत 2007 में हुई।

साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

सेन, अमर्त्य कुमार सेन (1993) ने अपनी पुस्तक ''भारत विकास की दिशाएँ'' में उन कारणों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, जिसके करण समकालीन चीन एवं एशियाई देश विकास में भारत से आगे बढ़ते चले गये, जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत की तुलना में उन देशों में पहले हुआ साक्षरता प्रसार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, महिलाओं की सहभागिता एवं सशक्तिकरण का योगदान प्रमुख रहा है, जिसके अभाव में एक सीमा से आगे उन्नति कर पाना संभव नहीं होता। यह पुस्तक सामाजिक अवसरों को प्राथमिकता देने वाले प्रमुख कारणों का तुलनात्मक आंकड़ा देती है।

National Rural Guaranttee Act (NREGA) : Issue and Challenges में आर० एस० सिंह ने स्वतंत्रता के बाद अब तक सामाजिक विकास से जुड़ी योजनाओं एवं उसके अध्ययनों ने यह बताया है कि आज तक जो भी सामाजिक विकास या गरीबी उन्मूलन से संबंधित योजनाओं का संचालन हुआ है, उन सभी योजनाओं में मनरेगा का स्थान सबसे ऊँचा है। इस योजना से गरीबों एवं जरूरतमंदों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। इसका संचालन गरीब परिवारों के लिए एक आशा की किरण है, जो हर रोज अपने परिवार को चलाने के लिए रोजगार की तलाश करता है। इसके संचालन से गांव के आधारभूत संरचना में भी बदलाव आया है।

पंत, डी० सी० ने अपनी पुस्तक ''भारत में ग्रामीण विकास (2002)'' में भारत में ग्रामीण विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र की भूमिका को स्पष्ट किया है।

गौर, पी० पी०, एवं मराठा, आर० के० द्वारा सम्पादित पुस्तक ''लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और ग्रामीण विकास (2001)'' में ग्रामीण विकास के विविध पक्षों को छुआ है, जिसमें पंचायती राज, ग्रामीण विकास, नवीन ग्रामीण नेतृत्व, महिला भागीदारी तथा जिला सरकार जैसे पहलुओं को छुआ है।

पाण्डेय, प्रेम नारायण ने अपनी पुस्तक ''ग्रामीण विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन (2000)'' में ग्रामीण विकास की प्रकृति, प्रक्रिया, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के साथ संरचनात्मक परिवर्तनों की विवेचना की है।

महिपाल ने ''पंचायते अतीत, वर्तमान एवं भविष्य (1997)'' में पंचायती राज व्यवस्था में अतीत से लेकर आज तक जो बदलाव आये हैं, उनकी क्रमबद्ध संक्षिप्त विवेचना करते हुए वर्तमान व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है। 15 विभिन्न राज्यों के अधिनियमों की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित किया गया है।

यादव, सुबह सिंह एवं यादव, सत्यभान ने ''ग्रामीण विकास का आधुनिक दर्शन (1997)'' में ग्रामीण विकास के सामाजिक, आर्थिक परिवेश, पारिस्थितिकी, ग्रामीण स्वच्छता, भूमि सुधार एवं ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका, जल संसाधन, सामाजिक कल्याण, सामाजिक न्याययुक्त ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास में सहकारी चिन्तन तथा शिक्षा एवं ग्रामीण विकास पर विस्तृत चर्चा की है।

The Accountability Gap (2011) में द्रेज, ज्यां (सम्पादन आर० खेड़ा) के अध्ययन में झारखण्ड, छत्तीसगढ़ सहित भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय अध्ययनों पर आधारित है। इसमें मनरेगा के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का वर्णन किया गया है।

सिंह, कटार (2011) ने अपने ग्रामीण विकास (पुनर्निमाण) की संकल्पना को प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार ग्रामीण विकास विस्तृत शब्द विकास का ही एक भाग है। तथापि हम इसकी व्याख्या इस रूप में करते हैं कि विकास सम्पूर्ण विश्व के व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों एवं राष्ट्रों द्वारा सार्वभौमिक उद्देश्यों को संजोए रखने का तरीका है।

कटारिया, सुरेन्द्र (2006) ने अपनी पुस्तक ''भारत में आर्थिक नियोजन एवं निर्धनता उन्मूलन'' में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास एवं वंचित तथा पिछड़े वर्गों के लिए चलाए गए योजनाओं एव इसके प्रभाव का विस्तृत वर्णन किया है तथा ये

योजनाएँ निर्धनता उन्मूलन में सफल हो रही हैं। इसके समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं, इसका भी चित्रण किया गया है।

राजपत्र, भारत सरकार (2005) में नरेगा के अधिनियम के प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इसका प्रकाशन 7 सितम्बर, 2005 संख्यांक–42 के अन्तर्गत प्रकाशन विभाग के द्वारा किया गया।

महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा (2012) में इस अधिनियम के 2006 से 2012 तक किए गए कार्यों का समीक्षात्मक विश्लेषण किया गया है। शोधपूर्ण अध्ययनों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत किए गए कार्यों एवं परिणामों की व्याख्या की गई है तथा इस बात का वर्णन किया गया है कि किस हद तक यह योजना अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रही है।

शोध उद्देश्य

1. ग्रामीण विकास में अधिनियम की भूमिका की वास्तविकता की जांच करना।
2. कल्याणकारी राज्य के अन्तर्गत मनरेगा के उद्देश्यों का विश्लेषण करना।
3. प्रभावशाली नीति लागूकरण में स्थानीय संरचना, शासन तथा पंचायतों के बीच संबंधों की समीक्षा करना।
4. मनरेगा में चलाये जा रहे कार्यक्रमों की पारदर्शिता का मूल्यांकन करना।
5. मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण का विश्लेषण करना।
6. अनुसचित जाति, जनजाति, महिलाओं एवं पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण में मनरेगा का मूल्यांकन करना।

परिकल्पना

1. मनरेगा के योजना क्रियान्वयन में स्थानीय प्रभुत्वशाली समूह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
2. मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण एवं पारदर्शिता का अभाव है।
3. मनरेगा ग्रामीण विकास में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध आनुभावित अध्ययन पर आधारित होगा। इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों से आंकड़े एकत्र किये जाएंगे। प्रश्नावली, सर्वे एवं साक्षात्कार का प्रयोग आंकड़े एकत्र करने के लिए किया जाएगा। प्रतिदर्श का चयन भोजपुर जिले के सभी 14 प्रखंडों से किया जाएगा। प्रतिदर्श के सभी इकाईयों को व्यक्तिगत तौर पर प्रशासित किया जाएगा। यह शोध केवल भोजपुर जिले पर केन्द्रित होगा।

संभावित अध्यायीकरण :

प्रथम अध्याय : प्रस्तावना
द्वितीय अध्यायः ग्रामीण विकास की समझ
तृतीय अध्याय : भारत में ग्रामीण विकास के प्रयास एवं योजना
चतुर्थ अध्याय : मनरेगा : परिचय एवं क्रियान्वयन
पंचम् अध्याय : ग्रामीण विकास में मनरेगा की भूमिकाः भोजपुर जिले का एक अध्ययन
षष्टम् अध्याय : निष्कर्ष एवं सुझाव

सन्दर्भ सूची :

1. सेन, अमर्त्य कुमार (1993), ''भारत विकास की दिशाएँ'', भवानी शंकर बागला, नई दिल्ली, राजपाल एण्ड सन्स
2. सिंह, आर० एस० (2002) National Rural Guaranttee Act (NREGA) : Issue and Challenges
3. पंत, डी० सी० (2002), ''भारत में ग्रामीण विकास'',
4. गौर, पी० पी०, एवं मराठा, आर० के० (2002), ''लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और ग्रामीण विकास''
5. पाण्डेय, प्रेम नारायण (2000), ''ग्रामीण विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन''
6. महिपाल (1997), ''पंचायते अतीत, वर्तमान एवं भविष्य''
7. यादव, सुबह सिंह एवं यादव, सत्यभान (1997), ''ग्रामीण विकास का आधुनिक दर्शन''
8. द्रेज, ज्यां (2011), The Accountability Gap (सम्पादन आर० खेड़ा)
9. कटारिया, सुरेन्द्र (2006), ''भारत में आर्थिक नियोजन एवं निर्धनता उन्मूलन''
10. राजपत्र, भारत सरकार (2005), संख्यांक–42, 7 सितम्बर, 2005
11. योजना (मासिक), प्रकाशन विभाग, भारत सरकार
12. कुरूक्षेत्र (मासिक), प्रकाशन विभाग, भारत सरकार
13. एन.आई.सी., भोजपुर
14. जनगणना (2011)
15. मनरेगा समीक्षा (2006 से 2012)
16. www.nrega.in

शोध छात्र का नाम : देवेन्द्र कुमार सिंह

राजनीति विज्ञान विभाग

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा